(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एन० डी० एम० सी०) और भारतीय होटल कम्पनी (आई० एच० सी०) के बीच नई दिल्ली के एक प्रमुख स्थान पर स्थित कम्पनी की दो पांच-सितारा सम्पत्तियों से संबंधित पट्टा-करार की अवधि वर्ष 2013 में समाप्त होने जा रही है;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् पट्टा-करार की अवधि की समाप्ति के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण की सहायता से उन दो प्रमुख सम्पत्तियों की नीलामी करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नीलामी का तरीका नहीं अपनाए जाने की स्थिति में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् को अनुमानत: कितना घाटा होगा?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।**

**-2-**

**दिनांक 29.08.2012 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**(क) से (घ) : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन डी एम सी) का संबंध मानसिंह रोड पर स्थित ताज मानसिंह होटल नामक केवल एक सम्पत्ति से है । ताज पैलेस नामक दूसरी सम्पत्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) के अंतर्गत आती है और यह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से संबंधित नहीं है । वर्तमान पट्टा दिनांक 10.10.2012 तक है । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 के अनुसार, परिषद उचित निर्णय लेने में सक्षम है ।**